

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....बाबूड़ा.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाबूड़ा व भूअनि. बाबूड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाबूड़ा प0ह0 बाबूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क. सं	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>बाबूड़ा</u>	खसरा नम्बर - 208 ता 211 फिग-4 कुल रकम 3.16 ₹	<u>मुन्नालाल उर्फ</u> <u>भागीरथराम</u>	<u>मुन्नालाल उर्फ</u> <u>महेन्द्रा कुमार उर्फ</u> <u>भागीरथराम</u> दर्ज करके के आदेश दिए जाने हैं किमी भी आपाएग का आदेश हो ता दर्ज करें

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार शीषा)
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
 दिनांक:- 8.11.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 435
 प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर